सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 1525 / 2017

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

घीसा पुत्र गोकल जाति गूर्जर निवासी देवपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.

प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र सुखदेव जाति गुर्जर
2. छोटू पुत्र भागीरथ जाति गूर्जर
3. लादू पुत्र छोटू
4. कन्हैयालाल पुत्र छोटू
5. कालू पुत्र छोटू
समस्त निवासीगण देवपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू. राज. अधि.

निर्णय

दिनांकः– 28.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प कादेडा में पेश हुई। वादीगण / प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम देवपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता स. 44 खसरा नम्बर 558,559,565,566 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है. भूमि में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है तथा वर्णित आराजीयात प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है वर्णित आराजी प्रार्थी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का किसी प्रकार का हक हिस्सा तथा अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात के उत्तरी पश्चिम तरफ के पडोसी है। जिनके मध्य रास्ता है। इस रास्ते को बन्द करने पर आमादा है, तथा सीमा विवाद करते है। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण स. 1 लगायात 5 में सीमा विवाद के कारण आपस में झगडा फसाद होने का अंदेशा सदैव बना रहता है। अप्रार्थीस. 6 लैण्ड हॉल्डर होने से वादग्रस्त आराजीयात के रिकॉर्ड का संधारण करने व राजस्व वसूल करने हेतु पक्षकार बनाया है। वादग्रस्त आराजीयात की मौके पर स्थायी पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान करे जिससे आपस में विवाद ,लडाई झगडा इत्यादि न हो। इसलिये वादी की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादी द्वारा पत्थरगढी करवाये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। आज दिनांक 28.05.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कादेडा में प्रार्थी / अप्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार केकड़ी से जवाब सरकार की रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट /जवाब पैरोकार सरका अनुसार वादी की स्वयं की खातेदारी होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। वादग्रस्त आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज होने से वाद पत्र का संतुलन वादी के पक्ष में होने से वादी का दावा प्रेमापेशाई होना पाया जाता है।

अतः वादी का वादपत्र वाके ग्राम देवपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर की जमाबन्दी संवत 2070–73 के खाता स. 44 खसरा नम्बर 558,559,565,566 कुल किता 4 कुल रकबा 1.65 है. पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 28.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट कादेडा में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी